समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला पंचायत शाखा)

-आदेश-

ग्राम पंचायत राज, सकरपुरा बेतौना के 2335 मतदाताओं द्वारा, पंचायत की मुखिया, श्रीमती सुमित्रा देवी के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु विशेष बैठक आयोजित किये जाने की मांग के आलोक में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 (4) (i) के तहत् दिनांक 27-10-2014 को 11:00 बजे पूर्वाह्न, अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बाढ़ आश्रय स्थल, बेतौना, वार्ड नं0-14 में विशेष बैठक बुलायी गयी है। विशेष बैठक में निपटाये जानेवाले कार्यो को दो भाग में विभाजित किया जा सकता है :-

(क) यदि नियत समय (11:00 बजे पूर्वाह्न) के भीतर ग्राम पंचायत सकरपुरा बेतौना के कुल मतदाताओं की संख्या (पंचायत निर्वाचन, 2011 की मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं में से मृत मतदाता को छोड़कर) के आधे से अधिक वैध मतदाता, बैठक स्थल पर उपस्थिति दर्ज करवा लेते हैं, तब अविश्वास प्रस्ताव पर खुली बहस के उपरांत मत-विभाजन एवं तत्पश्चात मतगणना के माध्यम से मुखिया को हटाने अथवा पद पर बने रहने का निर्णय लिया जायेगा।

(ख) यदि नियत समय (11:00 बजे पूर्वाह्न) के भीतर ग्राम पंचायत सकरपुरा बेतौना के कुल मतदाताओं की संख्या के आधे से अधिक वैध मतदाता बैठक स्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव असफल माना जाएगा तथा मुखिया अपने पद पर बनी रहेंगी।

विशेष बैठक में निपटाये जाने वाले कार्यो तथा समय सीमा की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र0	कार्य विवरण	अवधि
1	मतदाताओं की बैठक स्थल पर उपस्थिति दर्ज कराने की अवधि	08:00-11:00 पूर्वाह्न
2	मतदाताओं द्वारा बैठक स्थल पर उपस्थित होने का अंतिम समय	11:00 बजे पूर्वाह्न
3	नियत समय (11:00 बजे पूर्वाह्न) के भीतर उपस्थिति अभिलिखित कराने वाले वैध मतदाताओं की संख्या की गणना	11:00-11:15 पूर्वाह्न
4	उपस्थित वैध मतदाताओं की संख्या यदि ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं के संख्या के आधे से अधिक नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव असफल होने की घोषणा	11:15 बजे पूर्वाह्न
5	उपस्थित वैध मतदाताओं की संख्या यदि ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं की संख्या के आधे से अधिक है, तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पढ़कर सुनाया जाना	11:15 बजे पूर्वाह्न
6	मतदाताओं द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर खुली बहस	11:15 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्याह्न
7	मुखिया द्वारा अपना बचाव /पक्ष प्रस्तुत करना	12:00 बजे से 12:15 बजे अपराह्न
8	मतदान प्रक्रिया	12:30-04:30 बजे अपराहृत
9	मतगणना प्रक्रिया एवं परिणाम घोषणा	04:30 बजे अपराह्न से समाप्ति तक

मुख्य द्वार से प्रवेश

विशेष बैठक का स्थान बाढ़ आश्रय स्थल, बेतौना का सम्पूर्ण परिसर है, जो सुरक्षा तथा विधि–व्यवस्था के दृष्टि से बैरेकेटिंग युक्त होगा। यहां प्रवेश हेतु एक मुख्य द्वार होगा। मुख्य द्वार से अंदर केवल वैध मतदाताओं का प्रातः 08:00 बजे से प्रवेश होगा। मतदाताओं के वैधता की पहचान हेतु मतदाता पहचान पत्र या कोई फोटो युक्त दस्तावेज जैसे राशन कार्ड /जॉब कार्ड /आधार कार्ड / पैन कार्ड /बैंक पासबुक /ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि देखकर ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

वार्डवार मतदाताओं की उपस्थिति अभिलिखित किया जाना

मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने वाले मतदाता अपने–अपने वार्ड हेतु निर्धारित स्थान पर ही उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। मतदाताओं की उपस्थिति अभिलिखित करने हेतु वार्डवार काउंटर स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक काउन्टर के पीछे दीवाल पर वार्ड संख्या की सूचना प्रदर्शित की जाएगी।

बाढ़ आश्रय स्थल के मुख्य हॉल को चार ब्लाक में विभाजित किया गया है। इसके साथ–साथ मुख्य हॉल के उत्तर एवं दक्षिण ओर के बरामदे का प्रयोग भी मतदाताओं के निबंधन हेतु किया जायेगा।

- उत्तर दिशा की ओर के बरामदे में – वार्ड संख्या 01 तथा 02
- दक्षिण दिशा की ओर के बरामदे में – वार्ड संख्या–14
- मुख्य हॉल में–वार्ड संख्या–03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13एवं15

के मतदाताओं की उपस्थिति अभिलिखित करने हेतु कर्मियों /पदाधिकारियों /वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति निम्नांकित विवरणी के अनुरुप जिलाधिकारी के निदेशानुसार की गयी है। इनके द्वारा आवश्यकता पड़ने पर मतदान तथा मतगणना प्रक्रिया भी सम्पन्न करायी जायेगी।

क्र0	वार्ड संख्या	प्रतिनियुक्त मतदान कर्मी का नाम एवं पदनाम	प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम	वरीय पदाधिकारी का नाम
1	1	1. श्री विनोद कुमार चौधरी, सहायक, जिला आपूर्ति शाखा, मधेपुरा 2. श्री नंदलाल राम, पं0 स0, प्रखंड कार्यालय, उदाकिशुनगंज	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	श्री प्रदीप कुमार झा, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा
2	2	1. श्री चितरंजन कुमार सिंह, सहायक, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा 2. श्री दिलीप कुगार, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, मधेपुरा	अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर	
3	3	1. श्री सुमित आनन्द, सहायक, जिला योजना शाखा, मधेपुरा 2. श्री कमलाकान्त खरवार, पं0स0, प्रखंड कार्यालय, मधेपुरा	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	

4	4	1. श्री रजनीश कुमार, सहायक, जिला स्थापना शाखा, मधेपुरा 2. श्री राजपाल मुखिया, पं0स0, प्रखंड कार्यालय, आलमनगर	अंचल अधिकारी, घैलाढ़	
5	5	1. श्री अग्निदेव प्रसाद, सहायक, जिला स्थापना शाखा, मधेपुरा 2. श्री उमेश कुमार, पं0स0, प्रखंड कार्यालय, कुमारखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	श्री सुधीर कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा
6	6	1. श्री अनिल कुमार, सहायक, जिला स्थापना शाखा, मधेपुरा 2. श्री बमभोली राम, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, सिंहेश्वर	अंचल अधिकारी, शंकरपुर	
7	7	1. श्री रमेश मुर्मू, सहायक, जिला विधि शाखा, मधेपुरा 2. श्री नारायण मेहता, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, ग्वालपाड़ा	प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड	
8	8	1. श्री मरांडी सुनील, नाजीर, प्रखंड कार्यालय, सिंहेश्वर 2. श्री हरदेव राम, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, ग्वालपाड़ा	अंचल अधिकारी, कुमारखंड	
9	9	1. श्री शंकर लाल मरांडी, सहायक, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा 2. श्री अरूण कुमार यादव, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, पुरैनी	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	श्री सुधीर कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा
10	10	1. श्री अजय राम, सहायक, जिला राजस्व शाखा, मधेपुरा 2. श्री प्रमोद दास, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, कुमारखंड	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	
11	11	1-श्री सुभाष कुमार यादव, सहायक, जिला लोकायुक्त कोषांग, मधेपुरा 2-श्री लाल चन्द हॉसदा, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, मुरलीगंज	प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	
12	12	1. श्री संजय कुमार, सहायक, जिला अभिलेखागार, मधेपुरा 2. श्री जटाधर पासवान, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, चौसा	अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा	
13	13	1. श्री आनन्द प्रसाद, सहायक, जिला भविष्य निधि कार्यालय, मधेपुरा 2. मो0 सहाबुद्दीन, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, गम्हरिया	प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	श्री विनय कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा

14	14	1. श्री शैलेन्द्र कुमार, सहायक, जिला स्थापना शाखा, मधेपुरा 2. श्री अंगद प्रसाद साह, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, गम्हरिया	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	
15	15	1. श्री ज्योतेन्द्र कुमार, सहायक, जिला राजस्व शाखा, मधेपुरा 2. श्री जवाहर सिंह, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, मधेपुरा	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	

प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा, अंचल अधिकारी, मधेपुरा एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, मधेपुरा अपने-अपने कार्यालय में पदस्थापित सभी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुरक्षित कर्मियों के रूप में बैठक स्थल पर कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अनुपस्थित कर्मियों का प्रतिस्थापन किया जा सके।

उपरोक्त कर्मी /पदाधिकारी के द्वारा संपादित किये जानेवाले कार्य निम्नवत् होंगे :-

(क) सभी कर्मी निर्धारित समय अर्थात् 07:00 बजे पूर्वा0 तक अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। उनके बैठने हेतु निर्धारित स्थान पर टेबुल तथा कुर्सी का प्रबंध किया जायेगा।

(ख) सभी टेबुल पर एक रजिस्टर, दो कलम, दो नीले रंग का स्टॉम्प पैड (अँगूठे का निशान लगाने हेतु) एवं वर्ष 2011 पंचायत निर्वाचन की संबंधित वार्ड की फोटोयुक्त, बिना फोटोयुक्त तथा वर्णानुक्रमिक निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) की छायाप्रति जिला पंचायत शाखा द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) मतदाताओं के आने पर सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता का नाम जिस वार्ड की मतदाता सूची में है, वे उसी वार्ड हेतु निर्धारित काउंटर पर उपस्थित हुए हैं।

(घ) प्रत्येक टेबुल पर संधारित की जानेवाली पंजी में उपस्थित होनेवाले मतदाताओं की उपस्थिति दर्ज कराने के साथ-साथ निम्नांकित सूचनाएँ भरी जायेगी।

क्र0	मतदाता का नाम	महिला /पुरुष	हस्ताक्षर /अँगूठे का निशान	पहचान पत्र का प्रकार एवं संख्या	2011 के पंचायत निर्वाचन की मतदाता सूची में नाम अंकित है या नहीं	पहचान पत्र से मतदाता का नाम एवं चेहरा मेल खाता है या नहीं

(ङ) मतदाता के उपस्थित होने पर उपरोक्त विवरणी के क्रमांक-01 पर अंकित कर्मी (सहायक) द्वारा मतदाता के पहचान पत्र का वोटर लिस्ट में अंकित नाम /चेहरा से मिलान किया जायेगा। क्रमांक-2 पर अंकित कर्मी (पंचायत सचिव) द्वारा मतदाताओं की उपस्थिति पंजी पर दर्ज की जाएगी तथा पंजी के सभी कॉलम को विधिवत् भरा जायेगा। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्य का अनुश्रवण किया जायेगा।

(च) मतदाताओं के हस्ताक्षर दर्ज करने हेतु 08:00 बजे प्रातः से ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी तथा 11:00 बजे पूर्वा0 तक चलेगी। इसलिए मतदाताओं के उपस्थित होने पर उक्त कार्य को तुरंत आरंभ कर दिया जाय। 11:00 बजे पूर्वा0 के बाद संबंधित वार्ड में कुल कितने वैध मतदाताओं की उपस्थिति हुई है, इसका प्रतिवेदन प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपस्थित मतदाताओं की गणना

वार्डवार निर्धारित काउंटर पर उपस्थित वैध मतदाताओं द्वारा दर्ज करायी गयी उपस्थिति के आधार पर मतदाताओं की संख्या परिगणित की जायेगी। यह कार्य अधोहस्ताक्षरी के टेबुल (आश्रय स्थल के हॉल के मध्य) पर प्रतिनियुक्त कर्मियों के द्वारा किया जायेगा। इस टेबुल पर निम्नांकित पदाधिकारी /सहयोगी कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

क्र0	पदाधिकारी का नाम	सहयोगी कर्मी का नाम
1	श्री राकेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	1. श्री मनोज कुमार पंडित, सहायक, जिला पंचायत शाखा, मधेपुरा
2	श्री समरेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा	2. श्री अनिल कुमार आशुलिपिक, डी0आर0डी0ए0, मधेपुरा

अविश्वास प्रस्ताव का असफल होना

यदि नियत समय (11:00 बजे पूर्वाह्न) के भीतर ग्राम पंचायत सकरपुरा बेतौना के कुल मतदाताओं की संख्या के आधे से कम मतदाता, बैठक स्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव असफल माना जाएगा तथा मुखिया अपने पद पर बनी रहेंगी। इस बात की घोषणा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जायेगी। ग्राम पंचायत के कुल प्रभावी मतदाताओं की गणना करने के लिए वर्ष 2011 के कुल मतदाताओं की संख्या में से मृत मतदाताओं की संख्या को घटा दिया जायेगा।

बैठक में उपस्थित मतदाताओं की संख्या, ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं की संख्या के आधे से अधिक होने पर अपनायी जानेवाली प्रक्रिया

- अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राप्त परिवाद पत्र को पढ़कर सुनाया जायेगा।
- मतदाताओं द्वारा खुली बहस की जायेगी।
- अंत में मुखिया द्वारा अपना बचाव /पक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- सभी काउंटरों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों / वरीय पदाधिकारियों द्वारा मतदान हेतु उपस्थित मतदाताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। मतपत्र तथा मतपेटिकाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी।
- मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

मतदान प्रक्रिया

- मतदान हेतु सभी वार्ड के लिए अलग-अलग मतदान कक्ष का निर्माण किया गया है। मतदान कक्ष बाढ़ आश्रय स्थल के मुख्य हॉल में एवं उसके पीछे स्थित कमरे में पार्टीशन करके तैयार किया गया है। मतदान कक्ष में एक टेबुल पर दो मतपेटिकाएँ रखी होंगी, जिसमें एक <u>लाल रंग की तथा दूसरी हरे रंग</u> की होगी। लाल रंग के बक्से पर **'अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में'** तथा हरे रंग के बक्से पर **'अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में'** पर्ची लिखकर चिपकायी जायेगी। टेबुल पर मतपेटिकाओं के अतिरिक्त **<u>नीले रंग</u>** का दो स्केच पेन भी रखा रहेगा, जिसकी सहायता से मतदाता मतपत्र पर सही (√) का निशान लगायेंगे।

➢ जो मतदाता मुखिया को हटाना चाहते हैं वे मतदान कक्ष में जाकर मतपत्र पर सही (√) का निशान लगाकर **अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में** पर्ची सटी मतपेटिका में सही (√) का निशानयुक्त मतपत्र डालेंगे।

➢ जो मतदाता मुखिया को बनाये रखना चाहते हैं वे मतदान कक्ष में जाकर मतपत्र पर सही (√) का निशान लगाकर **अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में** पर्ची सटी मतपेटिका में सही (√) का निशानयुक्त मतपत्र डालेंगे।

➢ **मत–पत्र पर सही (√) का निशान नहीं लगाने वाले मतदाताओं के मतों को अवैध घोषित किया जायेगा तथा वैसे मतों को विधिमान्य मतों की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा।**

➢ मतदाताओं की उपस्थिति अभिलिखित करने हेतु प्रतिनियुक्त दो कर्मियों तथा पर्यवेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त एक पदाधिकारी द्वारा मतदान प्रक्रिया सम्पन्न करायी जायेगी।

➢ वरीय पदाधिकारी द्वारा उपस्थित तथा इच्छुक एक–एक मतदाताओं को बारी–बारी से बुलाया जायेगा तथा उन्हें एक मतपत्र सौंपा जायेगा। मतदाताओं के उपस्थित होने पर सभी काउंटर पर प्रतिनियुक्त क्रमांक 1 पर अंकित कर्मी (सहायक) द्वारा मतदाता सूची से उसके नाम का मिलान, मतदाता पहचान पत्र या अन्य पहचान पत्र से किया जायेगा। साक्ष्य स्वरूप उक्त मतदाता के नाम के सामने वोटर लिस्ट की प्रति में सही (√) का निशान लगायेंगे।

➢ सभी काउंटर पर प्रतिनियुक्त क्रमांक 2 पर अंकित कर्मी (पंचायत सचिव) द्वारा मतदाताओं के बायें तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाया जायेगा। इसके बाद ही मतदाता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जायेगा।

➢ कोई भी मतदाता मोबाइल या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा।

मतगणना

➢ प्रत्येक वार्ड के लिए मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य हॉल में मतों की गिनती की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए मतदान की समाप्ति के उपरांत मुख्य हॉल में क्रम से 15 टेबुल की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक टेबुल पर उपरोक्त विवरणी के अनुरूप ही वरीय पदाधिकारी तथा दो सहयोगी कर्मी द्वारा मतगणना कार्य सम्पन्न किया जायेगा।

➢ ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में अंकित कुल मतदाताओं (मृत मतदाताओं को छोड़कर) के आधे से अधिक मतदाताओं के द्वारा यदि मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला गया है, तो मुखिया अपने पद से तत्काल प्रभाव से हट जायेंगी तथा उनका पद रिक्त घोषित किया जायेगा। यदि आधे से अधिक बहुमत अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में प्राप्त होता है तो मुखिया अपने पद पर बने रहेंगी।

➢ परिणाम की घोषणा अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जायेगी।

अनुश्रवण

➢ सम्पूर्ण प्रक्रिया के अनुश्रवण हेतु निम्नांकित विवरणी के अनुसार जिला स्तरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम	आवंटित वार्ड संख्या
1	श्री प्रदीप कुमार झा, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	वार्ड नं0- 1,2,3,4 के लिए निर्धारित काउन्टर
2	श्री सुधीर कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	वार्ड नं0- 5,6,7,8 के लिए निर्धारित काउन्टर
3	श्री सुधीर कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	वार्ड नं0- 9,10,11,12 के लिए निर्धारित काउन्टर
4	श्री विनय कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	वार्ड नं0- 13,14,15 के लिए निर्धारित काउन्टर

अन्यान्य

➢ मतदान की अवश्यकता होने पर प्रत्येक तीन वार्ड पर एक-एक विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति जिला पंचायत कार्यालय के द्वारा की जायेगी।

➢ अविश्वास प्रस्ताव के संचालन की सम्पूर्ण प्रक्रिया अभिलिखित की जायेगी, जिसके लिए श्री अनिल कुमार आशुलिपिक, डी0आर0डी0ए0, मधेपुरा की प्रतिनियुक्ति निदेशानुसार की गयी है। बैठक की कार्यवाही को अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

➢ बैठक स्थल पर बैरीकेडिंग, माइक तथा लाईट का प्रबंध नाजिर, जिला पंचायत कार्यालय तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा के सहयोग से किया जायेगा।

ह0/-

जिला पंचायत राज पदाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक......640....../पं0, मधेपुरा, दिनांक..25.10.2014..

प्रतिलिपि : सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों /कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : उप निदेशक, पंचायती राज, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

25/10/14

जिला पंचायत राज पदाधिकारी

मधेपुरा।